International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 574-578 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों की भूमिका

[1]आरती गौतम, [2]डॉ. एम.एल.दीक्षित

[1]पीएचडी रिसर्च स्कॉलर अर्थशास्त्र विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.) –
[2]प्रोफेसर इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इंदरगढ़ दतिया (म.प्र.)

Submitted: 01-08-2022 Revised: 11-08-2022 Accepted: 14-08-2022

सार

भारत में हाल के दिनों में, महिला उद्यमिता स्वयं, अपने परिवार और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास में एक उभरती हुई प्रवृत्ति बन गई है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक रूप से सबसे अच्छे विकासशील क्षेत्रों में से एक है, जहाँ महिला उद्यमी लघु उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। पिछले दो दशकों में, महिलाओं को उद्यमिता में कई अवसरों का सामना करना पड़ रहा है जो न केवल उनकी आत्मनिर्भरता, आत्म-सम्मान, शिक्षा और विकास को बढ़ाता है बल्कि उनके परिवारों और कर्मचारियों की भी मदद करता है। वे विशेष रूप से महिला नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि महिला उद्यमियों का उद्यमिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन्हें विशेष रूप से फंड निर्माण में कई बाधाओं और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। महिला उद्यमियों को वित्त के संबंध में ज्ञान का अच्छा स्रोत होना चाहिए। इसके लिए, सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के बीच कई वित्तीय योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं जो उन्हें स्वयं आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आजकल, कई सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियां प्रशिक्षण, ऋण संवितरण, आर्थिक विकास और बिक्री के रूप में महिला उद्यमिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह पत्र मध्य प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है

मुख्य शब्द: महिला उद्यमी, उद्यमिता, सरकारी योजनाएँ, प्रशिक्षण आदि।

1.परिचय

महिला उद्यमियों को नवोन्मेषी उद्यमियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो रचनात्मक सोच रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ व्यावसायिक गतिविधि स्थापित करने और चलाने में सक्षम हैं, दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और अपने व्यावसायिक जोखिमों को स्वीकार करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। महिलाएं या तो चुनौतियों को स्वीकार करने के अवसर से या पारिवारिक आय के बल पर या जुनून के लिए सृजन करके उद्यमी बन जाती हैं। महिला उद्यमियों के लिए सामान्य अंतर्निहित गुण कुछ नया करने की इच्छा, जोखिम लेने वाला, समन्वयक, पर्यवेक्षक और पारिवारिक और सामाजिक जीवन दोनों में योगदान करने की क्षमता है।

वर्तमान में, भारत में महिला उद्यमियों के उद्भव में काफी वृद्धि हुई है और इसे हमारे देश में वित्तीय प्रगति और आर्थिक विकास में प्रमुख हिस्सा माना जाता है। उदारीकरण वैश्वीकरण और निजीकरण (एलपीजी) की शुरुआत के बाद 1990 के दशक में महिला उद्यमियों का

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 574-578 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

प्रवेश देखा गया। पहले, महिला उद्यमी हस्तशिल्प, सिलाई, खाद्य खानपान, कढ़ाई आदि जैसे व्यवसाय में मौजूद थीं और बाद में उन्हें कृषि-आधारित क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्रों, व्यापार क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों से संबंधित लघु मध्यम उद्यमों (एसएमई) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश, राज्य को औद्योगिक विकास में सातवें स्थान पर रखा गया है और महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं। महिला उद्यमियों के विकास के लिए, भारत सरकार ने उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी के रूप में कदम उठाए हैं। इस पत्र में भारत में महिला उद्यमियों की सरकारी योजनाओं के प्रति महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता के स्तर को जानने का प्रयास किया गया है और महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के कुछ तरीके भी सुझाए गए हैं।

2.साहित्य की समीक्षा

डॉ. श्रीकृष्ण एस. महाजन, श्री चंद्रकांत बी. कांबले (2011) - "महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता: माविम द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों का एक अध्ययन"। यह अध्ययन कोल्हापुर जिले में महिलाओं के लिए महिला आर्थिक विकास महामंडल (एमएवीआईएम) द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों और महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास के लिए इसके समर्थन पर केंद्रित है।

डॉ राजेश चटर्जी, अमित के.आर. देब (2013) --"उद्यमिता पर सरकारी कार्यक्रमों का प्रभाव: त्रिपुरा के विशेष संदर्भ के साथ पूर्वोत्तर भारत पर एक अध्ययन"। यह अध्ययन त्रिपुरा में ग्रामीण उद्यमिता विकास के लिए सरकारी एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित है। इस अध्ययन में ग्रामीण उद्यमियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव पर चर्चा की गई

एम महेंद्रन, आर राजन बाबू (2015) - "नागापट्टिनम जिला तमिलनाडु में महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और योजनाएं"। इस अध्ययन में तमिलनाडु में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता संस्थानों और योजनाओं के बारे में चर्चा की गई और महिला उद्यमियों में वित्तीय सहायक संस्थानों की योजनाओं के बारे में जागरूकता और ज्ञान का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश महिला उद्यमी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं से अनजान हैं।

हारिस अबरार कश्मीरी, रुबीना अल्चर (2017) - "उद्यमिता विकास में सरकारी नीति की भूमिका"। इस अध्ययन में उद्यमिता के विकास में सरकारी नीतियों की भूमिका और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई

डॉ. आर. पॉलमोनी, डॉ. पी. गीता (2019) -- "सरकारी योजनाओं के बारे में महिला उद्यमियों की जागरूकता पर एक अध्ययन कन्याकुमारी जिले के लिए विशेष संदर्भ"। इस अध्ययन में रैंक पद्धति का उपयोग कर सरकारी योजनाओं पर महिला उद्यमियों की जागरूकता के बारे में चर्चा की गई। इस अध्ययन के परिणाम से पता चला कि मुद्रा योजना योजना में महिलाओं को प्रथम स्थान, अन्नपूर्णा योजना को द्वितीय स्थान, सूक्ष्म ऋण योजना को तृतीय स्थान तथा महिला विकास निधि को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।

3.अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्वालियर, मध्य प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों की भूमिका का अध्ययन करना
2. मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के बारे में महिला उद्यमियों की जागरूकता पर एक अध्ययन।
3. महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए विभिन्न उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समझना।

4. अध्ययन की पद्धति

यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा स्रोतों पर आधारित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक सौ नब्बे महिला उद्यमियों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया। विभिन्न संबंधित शोध लेखों, पुस्तकों, वेबसाइटों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं आदि के रूप में माध्यमिक डेटा।

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 574-578 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

5.भारत में महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं

भारत सरकार ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएं और प्रशिक्षण प्रदान करके महिला उद्यमियों का समर्थन किया है। कुछ योजनाएं और प्रशिक्षण नीचे सूचीबद्ध हैं:

स्टैंड-अप इंडिया

स्टैंड-अप इंडिया योजनाएं 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई हैं। यह योजना 10 लाख से 10 लाख रुपये के बीच बैंक ऋण प्रदान करती है। 1 करोर। यह ऋण कम से कम एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) और महिला उद्यमी द्वारा विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र या कृषि-संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करने के लिए लिया जा सकता है। नकद ऋण सीमा के रूप में कार्यशील पूंजी की सीमा रु.1 मिलियन तक है। चुकौती अवधि अधिकतम 7 वर्ष है और अधिस्थगन अवधि 18 महीने तक है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच रोजगार सृजन होता है।

व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रेड)

यह योजना गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं को ऋण उपलब्धता प्रदान करती है। महिलाएं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों से ऋण सुविधा, परामर्श या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में सहायता प्राप्त कर सकती हैं, जो महिलाओं को गैर-कृषि गतिविधियों को करने के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए प्रस्तावित उद्यम शुरू करने के अवसर पैदा करती हैं। सरकार ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा परियोजना की कुल लागत का 30% ऋण देगी और शेष 70% महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा दी जाएगी।

5.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)

भारत सरकार द्वारा 30 अगस्त 2000 को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना नए और मौजूदा दोनों उद्यमों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

5.2 अक्षय महिला आर्थिक सहायता योजना (AMASY)

कृषि, खुदरा व्यापार और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक द्वारा AMASY योजना की पेशकश की गई थी। AMASY योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

5.3 राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष योजना को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष (NCFW) के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा गरीब और संपत्ति-रहित महिलाओं तक ऋण पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। इसे 30 मार्च 1993 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य डेयरी, कृषि, दुकान-कीपिंग, वैंडिंग और हस्तशिल्प में गरीब महिलाओं के लिए आय उत्पन्न करना है।

5.4 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

मुद्रा योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी इस योजना का उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराना है। यह योजना उन उद्यमियों की मदद करती है जो अपना व्यवसाय चलाने में वित्त की समस्या का सामना करते हैं।

5.5 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

यह पीएमईजीपी योजनाएं 2008 में शुरू की गई थीं। यह रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में प्रधान मंत्री रोजगार योजना

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 574-578 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

(पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) की प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना का एक संयोजन है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा राज्य स्तर पर बैंकों, जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी), राज्य केवीआईसी निदेशालयों और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के माध्यम से लागू की गई है।

5.6 महिला उद्यम निधि योजना

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) के तहत महिला उद्यम निधि योजनाओं की पेशकश रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनका पोषण करने के उद्देश्य से की जाती है। इस योजना का लाभ एमएसएमई को सेवा, निर्माण और उत्पादन संबंधी गतिविधियों को करने के लिए मिलता है। महिला उद्यमी रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। अपना खुद का व्यवसाय या लघु उद्योग शुरू करने के लिए 1 मिलियन। दी जाने वाली ब्याज दरें हर बैंक में अलग-अलग हो सकती हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण चुकौती अवधि 10 वर्ष तक है, जिसमें अधिस्थगन पृष्ठ 5 वर्ष तक हैं।

5.7 नई उद्यमी सह उद्यम विकास योजना (NEEDS)

उद्योग और वाणिज्य निदेशालय और भारत सरकार द्वारा NEEDS योजना को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को पूंजी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करके पहली पीढ़ी की उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। यह योजना तमिलनाडु के निवासी व्यक्ति के लिए कम से कम 3 वर्ष के लिए लागू है। न्यूनतम परियोजना लागत 5 लाख और अधिकतम रु. 1 करोर।

6.प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.1 स्टार्ट-अप इंडिया

यह स्टार्ट-अप इंडिया योजना युवा पीढ़ी को उद्योगपति और उद्यमी बनने के अवसर प्रदान करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिन्हें स्टार्ट-अप नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम युवाओं को सही दिशा में नवीन विचारों को उत्पन्न और कार्यान्वित करके वित्तीय सहायता प्रदान करके व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाता है।

6.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक पहल कार्यक्रम है। यह पीएमकेवीवाई योजना नई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 के तहत युवाओं के बीच एक सार्थक, उद्योग प्रासंगिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। PMKVY का उद्देश्य युवाओं को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वित्तीय पुरस्कार प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना और कौशल विकसित करना है।

6.3 भारतीय महिला उद्यमियों का संघ (FIWE)

FIWE 1999 में स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का गैर-सरकारी संगठन है और 1860 के भारतीय सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह महिलाओं और युवाओं के उद्यमिता सशक्तिकरण और विकास के लिए भारत की अग्रणी संस्थाओं में से एक है। FIWE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की एजेंसियों जैसे सेक्टर स्किल काउंसिल, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ काम कर रहा है। , आदि एमएसएमई के विकास और विकास की दिशा में नीति तैयार करने में।

6.4 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (STEP)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता योजना शुरू की गई है। STEP योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार कौशल प्रदान करना है जो महिलाओं को उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है। यह योजना देश भर में 16 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लाभ के लिए शुरू की गई है।

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 574-578 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

7.निष्कर्ष

आज उद्यमिता के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाकर महिलाओं को बेहतर स्थिति में कहा जाता है। भारत सरकार और तमिलनाडु की राज्य सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, ट्रेड, भारतीय महिला बैंक, एएमएएसवाई, देना शक्ति, स्त्री शक्ति पैकेज, सेंट कल्याणी योजना, सेंट महिला योजना इत्यादि जैसी महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनका उद्देश्य उद्यमशीलता गतिविधियों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए योजना है।

जागरूकता की कमी के कारण कुछ संभावित महिला उद्यमी अव्यक्त रहती हैं। महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए विभिन्न योजनाएं और सहायता करने और इन योजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

[1]. डॉ. ए.एस.शिरालाशेट्टी (मार्च 2013)-सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर-उत्तर कर्नाटक जिलों की महिला उद्यमियों का एक अध्ययन----खंड V अंक 1 ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप सोसायटी पीपी 24 33

[2]. सुश्री जी.जयश्री; डॉ. आई. कार्मेल मर्सी प्रिया-नवंबर 2016-इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल रेलेवेंस एंड कंसर्न-आईएसएसएन-2347 9698 खंड 4 अंक 11.

[3]. एम. महेंद्रन, आर. राजन बाबू-- अप्रैल 2015 नागपट्टिनम जिले तमिलनाडु में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और योजनाओं का लाभ-खंड: 2, अंक: 4, पीपी171-174 www.allsubjectjournal.com-e-ISSN : 2349 4182 पी-आईएसएसएन: 2349-5979 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट फैक्टर: 3.762

[4]. एस ओ जुनारे, रंजना सिंह---2016 सरकारी योजनाओं के ज्ञान के साथ तकनीकी समझ और उपयोग गुजरात के चयनित शहरों की महिला उद्यमियों का एक अध्ययन खंड 1 अंक 1 एमिटी जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।

[5]. हरिस अबरार कश्मीरी, रुबीना अख्तर-2017 उद्यमिता विकास में सरकार की नीति की भूमिका- वॉल्यूम। 25, नंबर 1.

[6]. एम. उमा, अर्थी अरुलमूर्ति-2019 केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता पर एक अध्ययन खंड 6, अंक 2 ई-आईएसएसएन 2348-1269, पी आईएसएसएन 2349-5138 www.ijrar.org

[7]. सतीश कुमार अमलाठे, प्रो. राजेश मेहरोत्रा---- 2017 महिला उद्यमिता के अवसर और चुनौतियां: एक सिंहावलोकन आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (आईओएसआर जेबीएम)-ई-आईएसएसएन: 2278-487एक्स पी-आईएसएसएन: 2319-7668 . खंड 19, अंक 3. देखें। IV --(पीपी 99 104 www.iosrjournals.org.